

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 260/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/454

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
कालूराम पुत्र डूंगरजी कौम मेघवाल निवासी पारलू तहसील पचपदरा		1. हुकमाराम पुत्र लिखमाराम 2. हीराराम पुत्र लिखमाराम 3. जेताराम पुत्र लिखमाराम 4. भीमाराम पुत्र खेताराम 5. पूराराम पुत्र खेताराम 6. वनकी पुत्री खेताराम 7. कालकी पुत्री खेताराम 8. सड़की पुत्री खेताराम 9. पानकी पुत्री खेताराम 10. जेतीदेवी पत्नि खेताराम जाति मेघवाल निवासी पारलू तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 11. एस.बी.आई. शाखा पारलू जरिए मैनेजर 12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
- विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 29.9.2025


1. संक्षिप्त में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम पारलू तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 352 रकबा 464.05 बीघा भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी। विवादित भूमि के सहखातेदारान द्वारा सहमति के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2004 मे आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया गया। जिसके खसरा नम्बर 352/1 से 352/9 कायम हुए,जिसकी नामान्तकरण संख्या 1136/16.12.2004 पारित हुआ। तत्कालीन हल्का पटवारी को विभाजन नक्शा के अनुरूप तरमीम किए जाने के बजाय उसके विपरीत लट्टा नक्शा मे तरमीम कर दी गई। जिसके कारण रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति में एकरूपता नही है। गलत तरमीम के कारण प्रार्थी को अपुरणीय क्षति हो रही है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 765/352 की विद्यमान तरमीम को निरस्त की जाकर परिशिष्ट अ में वर्णितानुसार ए से ई मुताबिक तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 11 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी संख्या 12 की ओर से विवादित आराजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई,जो पत्रावली संलग्न है। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 12 उपस्थित नही हुए।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि मूल ग्राम पारलू तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 352 रकबा 464.05 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिसके खातेदार हुकमाराम, हीराराम, जैताराम पिसरान लिखमाराम,रणकी बेवा लिखमाराम 1/9 हिस्सा,डूंगरा पुत्र काना 1/9 हिस्सा,मीठालाल,शंकरलाल पिसरान घुड़ाराम,सुगलाराम पुत्र बाबुलाल, लेहरकी बेवा बाबुलाल,मोहन,भीमा,चैना पिसरान मगाराम ,खनियो बेवा मगाराम,खेताराम पुत्र फूसाराम 1/3 हिस्सा,जोगला,केसरिया,भटीया पिसरान गोभीया 1/9 हिस्सा,मालिया वल्द अचली 1/9 हिस्सा,चतरा रणछोड़ पिसरान गिरधारी मथरा बेवा गिरधारी 1/9 हिस्सा, नाथिया, वीरमा, देदीया,दलीया पिसरान गोकलाराम 1/9 हिस्सा निहित था। उक्त सहखातेदारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2004 मे सहमति बंटवाड़ा उप तहसीलदार जसोल के समक्ष दिनांक 16.12.2004 को पेश किया गया। उक्त विभाजन के अनुसार भूमि का बंटवाड़ा होने पर खसरा संख्या 352/1 से 352/9 कायम हुए। बाद नामान्तकरण संख्या 1136/16.12.2004 को पारित किए जाने पर विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी खसरा संख्या 352/1 रकबा 51.13 बीघा जिसके रेकॉर्ड मे नया खसरा संख्या 764/352 कायम हुए। प्रार्थी के खसरा संख्या 352/2 के नये खसरा संख्या 765/352 रकबा 51.13 बीघा कायम हुए। इसी प्रकार विप्रार्थी संख्या 4 से 11 के खसरा संख्या 352/3 रकबा 51.13 बीघा के नये खसरा संख्या 766/352 कायम हुए। खसरा संख्या 764/352 के खातेदारान ने अपनी भूमि का पुनः विभाजन करवाए जाने पर खसरा संख्या


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1133/764,1134/764,1135/764 व 1136/764 कायम हुए तथा खसरा संख्या 765/352 व 766/352 यथावत रहे। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि तत्कालीन हल्का पटवारी को विभाजन नक्शा के अनुरूप तरमीम की जानी थी,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा विभाजन नक्शा के विपरीत जाकर प्रार्थी के खसरा संख्या 765/352 की तरमीम विप्रार्थी संख्या 4 से 11 की भूमि खसरा संख्या 766/352 की जगह गलत राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी गई,जिसके रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति में विभन्नता आ गई है। अशुद्ध तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद रहता है। अतं में निवेदन किया कि विवादित आराजी की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मौका रिपोर्ट अनुरूप तरमीम दुरुस्त किए जाने के आदेश फरमाए जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड,दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि पक्षकारान की ओर से विवादित आराजी का आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा वर्ष 2004 में किया गया था। उक्त सहमति बंटवाड़ा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1136/16.12.2004 पारित हुआ था,उक्त बंटवाड़ा के आधार पर पारित नामान्तकरण संख्या 1136 की पुश्त पर तरमीम अक्ष भी अंकित है,उक्त सहमति बंटवाड़ा मय नक्शा मुताबिक लटढा नक्शा में तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन उसके विपरीत रेकॉर्ड में तरमीम कर दी गई। विदयमान नक्शा व बंटवाड़ा नक्शा का अवलोकन मात्र से भी प्रतीत होता है कि विवादित आराजी की तरमीम बंटवाड़ा अनुरूप नहीं हो रखी है। न्यायालय हाजा का मानना है कि सहमति बंटवाड़ा के अनुरूप तरमीम दर्ज की जानी चाहिए थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम सहमति बंटवाड़ा ऐग्रीमेट से विपरीत की गई है,जो कि पत्रावली के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट अंकन है कि बंटवाड़ा नक्शा मुताबिक रेकॉर्ड में तरमीम की गई है। इस कारण रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति में एकरूपता नहीं है। इसके उपरांत भी न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि प्रकरण में पक्षकारान की मौका कब्जा काश्त स्थिति एवं सहमति बंटवाड़ा के आधार पर पक्षकारान को सुना जाकर दुबारा तरमीम अंकन करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।


7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131,130 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम-गोलिया तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 352 से विभक्त होकर बने खसरान की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा एवं सहायक भू अभिलेख एवं पदेन सहायक भू प्रबंध अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि रि-सेटलमेंट के दौराने विवादित आराजी का मौका कब्जा काश्त एवं सहमति बंटवाड़ा नक्शा को मध्यनजर रखते हुए विवादित आराजी का नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश नियमानुसार पारित करें।




(अशोक कुमार) 29/09/2021
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 29-9-2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी 29/09/2021
बालोतरा